Re: Alleged violation of environmental norms by gravel mining leaseholders ? laid

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): मैं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान राजस्थान में बजरी लीज धारकों द्वारा उन्हें बजरी खनन हेतु प्राप्त पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों की अवहेलना करने से उत्पन्न स्थिति की तरफ आकर्षित करते हुए यह अवगत करवाना चाहता हूं कि बजरी लीज धारकों द्वारा नदी में तय सीमा से ज्यादा गहराई में बजरी का खनन किया जा रहा है। जिससे नदियों का अस्तित्व संकट में आ गया है। बजरी खनन हेतु संबंधित बजरी लीज धारकों ने राजस्थान के राज्य वृक्ष 'खेजड़ी' सहित अन्य कई प्रकार के हजारों पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया है। राजस्थान का पर्यावरण भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप संवेदनशील है। बजरी लीज धारकों द्वारा प्राप्त किए गए पर्यावरण क्लीयरेंस के विषमताओं ने पर्यावरण के लिए चिंता का कारण खड़ा कर दिया है। कथित बजरी लीज धारकों द्वारा खनन हेतु की गई मनमर्जी और नदियों को मनमाफिक रूप से खोदने के कारण राजस्थान की जलीय पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार बजरी लीज धारकों ने अवैध बजरी के खनन के नाम पर ना केवल राजस्थान में नदियों के अस्तित्व को संकट में डाला बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले कारकों के साथ भी खिलवाड़ किया है। भारत सरकार द्वारा बजरी खनन हेतु जो पर्यावरण अनापत्ति इन्हे दी उसकी शर्तों का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है।

अतः बजरी लीज धारकों द्वारा ली गई पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों की अवहेलना करने से हुए नुकसान को मद्देनजर रखते हुए तत्काल केंद्र सरकार के स्तर से निष्पक्ष विशेष टीम का गठन कर के पर्यावरण संबंधी संस्कृति की विवेचना करवाते हुए पर्यावरण हानि का आकलन करवाया जाए और तत्काल प्रभाव से इन बज़री लीज धारकों की पर्यावरण अनापत्ति रद्द करके संबंधित बजरी लीज धारकों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों में मुकदमा दर्ज करवाते हुए तथा इन पर आर्थिक

दंड आरोपित करते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार के खनन हेतु ईसी हासिल करने हेतु प्रतिबंधित किया जाए ताकि देश में एक नजीर पेश हो सके।

_____

Â

माननीय सभापति : आइटम नंबर ? 28, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी ? आप बोलिए।

? (व्यवधान)

15.02 hrs